अनुबंध-II

सं0 11-4/2006-ओएसपी
भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, नई दिल्ली-110001
(सीएस-I प्रकोष्ठ)

दिनांक : 12 फरवरी, 2009

सेवा में,

सभी अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी)

विषय : अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) को दूरसंचार संसाधनों के संबंध में।

नई दूरसंचार नीति (एनटीपी) 1999 के पैरा 3.7 के अनुसार अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) को टैली-बैंकिंग, टेली-मेडिसिन, टेली-ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स, काल सेंटर इत्यादि, जैसे अनुप्रोग प्रदान करने के लिए केवल अनेक अधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा ही प्रदान किए जाने वाले दूरसंचार संसाधनों का प्रयोग करके प्रचालन करने की अनुमति है, और उन्हें दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

उपर्युक्त के मद्देनजर, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओएसपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे दूरंसचार विभाग के साथ पंजीकृत हैं और पीएसटीएन/पट्टे की लाइनें/आईएसपी बैंडविड्थ इत्यादि दूरसंचार संसाधन केवल अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से ही लिए जा रहे हैं।

ह0/-
(इरेन चेरियन)
अवर सचिव (सीएस-I)

67

अनुबंध-III

ओएसपी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी का प्रपत्र

ओएसपी केंद्र के लिए वार्षिक विवरणी ....

वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी ....

ओएसपी का नाम	ओएसपी केंद्र	वित्तीय वर्ष	ओएसपी पंजीकरण संख्या	पंजीकृत कार्यालय का पता	कंपनी का सीआईएन, यदि कोई है	होल्डिंग कंपनी का सीआईएन, यदि लागू हो	कर्मचारियों की संख्या				ग्राहक का नाम और अवस्थिति	ओएसपी व्यवसाय से संबंधित कुल वार्षिक कारोबार	शुद्ध लाभ/ शुद्ध हानि
							एजेंट	प्रबंधकीय	अन्य	कुल			

"अन्य सेवा प्रदाता " (ओएसपी) श्रेणी के अंतर्गत और "टेलीमार्केटिंग " श्रेणी के पंजीरकण को दूरसंचार विभाग मुख्यालय के सीएस प्रभाग से वीटीएम प्रकोष्ठ की फील्ड इकाइयों में विकेंद्रीकरण करना।

प्रेस नोट ☐ कार्यालय ज्ञापन ☐
दिनांक 2 जून, 2008 का प्रेस नोट ☐ नया
ओएसपी के नियम और शर्तों के संबंध में 5 अगस्त, 2008 का कार्यालय ज्ञापन (पीडीएफ) / (डीओसी) नया।

अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) के अंतर्गत पंजीकरण

नई दूरसंचार नीति (एनटीपी) 1999 के अनुसार अन्य सेवा प्रदाताओं, जैसे कि टेली-बैंकिंग, टेली-मेडिसिन, टेली-ट्रेडिंग, ई-कामर्स इत्यादि, को विभिन्न अभिगम प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली अवसंरचना का प्रयोग करते हुए गैर-दूरसंचार सेवाओं के लिए उपयोग करने की अनुमति होगी। दूरसंचार आयोग ने मई 1999 में उपर्युक्त श्रेणी के अंतर्गत देश में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू काल सेंटरों, दोनों के पंजीकरण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया। बाद में नेटवर्क प्रचालन केंद्र ओर वाहन ट्रैकिंग प्रणालियों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया। दूरसंचार आयोग द्वारा फरवरी, 2000 में स्थापित नियम और शर्तों के अनुसार ये अनुप्रयोग सेवा प्रदाता केवल अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से ही दूरसंचार संसाधन प्राप्त करेंगे और अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेंगे और स्विचनयुक्त टेलीफोनी प्रदान नहीं करेंगे। दूरसंचार विभाग 1000/- रु0 प्रति मामला प्रक्रिया शुल्क वसूल करेगा। इसके अस्तित्व में आने से आज तक ओएसपी श्रेणी के अंतर्गत 2500 से अधिक मामलों का पंजीकरण किया गया है। इन कंपनियों को ओएसपी पंजीकरण संबंधी दिनांक 05.08.2008 को संशोधित, **अनुबंध-I (पीडीएफ)/(डीओसी)** पर दिए गए नियम और शर्तों का अनुपालन करना होगा।

सभी ओएसपी को जारी किए गए दूरसंचार संसाधनों संबंधी अनुदेश **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

पंजीकृत ओएसपी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक रिटर्न का प्रपत्र **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

ओएसपी और टेलीमार्केटर का पंजीकण ओएसपी/टेलीमार्केटिंग केंद्र की अवस्थितियों के अनुसार संबंधित दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी (टीईआरएम) प्रकोष्ठ (पूर्व में वीटीएम प्रकोष्ठ के नाम से जाने जाते थे) द्वारा किया जाता है।

उनको (ओएसपी/टेलीमार्केटर) दूरसंचार संसाधन प्रदान करने से पूर्व अभिगम सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन ग्राहकों के पास दूरसंचार विभाग के ओएसपी प्रकोष्ठ से जारी किए गए पंजीकरण संबंधी वैध दस्तावेज हैं उस अभिगम सेवा प्रदाता के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी जो उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करते।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण/संशोधन के लिए फार्म-I के अनुबंध में उल्लिखित पत्र व्यवहार के पते पर निर्धारित फार्म-I पर अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

<u>बैंक गारंटी और करार के लिए प्रपत्र</u>

- **सामान्य अवसंरचना की साझेदारी के करार के लिए प्रपत्र, विकल्प-I के अनुसार।**
- **50 लाख रु0 की बैंक गारंटी के लिए प्रपत्र।**
- **सामान्य अवसंरचना की साझेदारी के करार के लिए प्रपत्र, विकल्प-II के अनुसार।**
- **1 करोड़ रु0 की बैंक गारंटी के लिए प्रपत्र।**

**संपर्क : अवर सचिव (सीएस-I), 12वां तल, संचार संचार भवन,
20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23036366, 011-23372565**

05 अगस्त, 2008 को अध्यतन किया गया